प्रकरण संख्या 9/2017 कमजी बनाम रंगजी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा सुनी गयी बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 06.11.2015 से रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के जवाबदावे में लम्बित था। इसी दौरान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 27.06.2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखकर वादीगण/अपीलान्टगण को तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की अनुपस्थित में प्रकरण में अपीलान्ट/वादीगण को बिना सुने तथा पत्रावली के रेकार्ड पर उभयपक्षों की साक्ष्य लिये बिना सिर्फ तहसीलदार के कथनों के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया है, जो स्पष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तथा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत प्राप्त कर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10.09.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 9/2017 कमजी बनाम रंगजी